मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल

Azadi Ka Amrit Mahotsav

कमांक 1578 /लेखा./प्रनिबो/2022 भोपाल,दिनांक 23/8/2022

प्रति,

1. पंजाब नेशनल बैंक, एप्को ब्रॉच,भोपाल ।
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ।
4. बैंक ऑफ बडौदा ।
5. अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक

विषयः– बोर्ड में ऑन–लाईन फीस कलेक्शन हेतु **पेमेंट गेटवे –बिल डेस्क** के माध्यम से पेमेंट गेटवे सुविधा प्रदाय करने बाबत् ।

संदर्भ :– बोर्ड पत्र कमांक 889/लेखा/प्रनिबो/2022 दिनांक 06/05/2022

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऑन लाईन फीस कलेक्शन के कार्य में सुधार एवं समुचित संचालन हेतु संस्था/बैंक से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे । परन्तु वर्तमान में एच.डी.एफ.सी बैंक द्वारा प्रदाय पेमेंट गेटवे पे–यू एवं आई.सी.आई.सी. बैंक गेट–वे रोजर–पे में आ रही विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व व्यवस्था अनुसार **बिल डेस्क** के माध्यम से बोर्ड में ऑन–लाईन फीस कलेक्शन हेतु **पेमेंट गेटवे** निम्नलिखित शर्तो पर दिनांक 25/08/2022 (शाम 6.00 बजे) तक इस संबंध में अपनी सेवायें प्रदान करने के इच्छुक हो तो अपना प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत करें । शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. इस सुविधा हेतु बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा तथा आपको किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।
2. एक्सजीएन पोर्टल पर फीस कलेक्शन हेतु आपके द्वारा उद्योगों/संस्थाओं /वेंडर्स से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लिया जावेगा । यह सुविधा पूर्णतः निशुल्क रहेगी।
3. एक्सजीएन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की गई राशि – UPI/RTGS से फंड ट्रांसफर की स्थिति में T+0 एवं डेबिट कार्ड /केडिट कार्ड से फंड ट्रांसफर की स्थिति में T+1 की समयावधि में राशि बोर्ड के चालू खाते में केडिट करेगें एवं T+2 की समयावधि में बोर्ड के बचत खाते में राशि केडिट करेगें ।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त शर्तो पर सहमति की दशा में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल में ऑन लाईन फीस कलेक्शन हेतु अपना प्रस्ताव निर्धारित समय पर प्रस्तुत करें ।

(अश्वनी सिंह परिहार)
वित्तीय नियंत्रक अधिकारी
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

पृ.क. /लेखा/मुप्रनिबो/2022 भोपाल,दिनॉकः

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव,सदस्य सचिव , मध्य प्रदेथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. आई.टी.शाखा प्रभारी , मध्य प्रदेथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।